Adl Reg-1

**Haryana Industrial Training Directorate,**
Headquarters: Chandigarh

तत्काल/तिथिबद्व
सेवा में,

सभी जिला स्तर के प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी (हरियाणा राज्य में)।

यादि क्रमांकः T-4/PMS/SC/2015-16/ Online Application/
दिनांकः

विशयः– पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को फर्जी छात्रवृति देने/ Double Payment पर रोक लगानें बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

सभी जिला स्तर के नोडल अधिकारी/प्रधानाचार्यों को निम्न प्रकार निर्देश दिये जाते हैः–

1. हरियाणा राज्य में स्थित Govt. I.T.O.T, Rohtak, Govt./Pvt., I.T.Is में वर्ष 2015–16 में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे अनुसूचित जाति/जन जाति तथा ओ0बी0सी0 जाति के छात्र/छात्राओं के द्वारा छात्रवृति आवेदन On Line Upload किये गए है उन छात्रवृति आवेदन पत्रों की संख्या संस्थान में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे, उक्त कैटागरी के छात्र/छात्राओं की संख्या के अनुसार संस्थान वाईज सही है या नहीं।
2 यह भी चैक करके सुनिश्चित करेंगे कि जिन छात्र/छात्राओं को छात्रवृति स्वीकृत की जा रही है क्या वह Double छात्रवृति स्वीकृत तो नहीं हुई है। यदि किसी भी संस्थान के छात्र/छात्राओं की छात्रवृति की Double स्वीकृत की गई है तो इस की सूचना निदेशालय पर Central D.D.O/P.M.S HQ को तुरन्त दें, यदि भविष्य में इस प्रकार का मामला निदेशालय के ध्यान में आया तो इसके लिए संस्थान का मुखिया तथा जिला स्तर का नोडल अधिकारी जिम्मेवार होगा।
3 सभी संस्थानों के मुखियों को यह भी निर्देश दें कि जो छात्रवृति आवेदन पत्र निदेशालय से रद्द होकर संस्थान की यूजर आई0डी0 पर वापिस जा रहें हैं उन्हें प्रतिदिन संस्थान की आई0डी0 चैक करके छात्रवृति आवेदन पत्रों की कमियों को पूरा करके प्रतिदिन Re-submit करवाना सुनिश्चित करेंगें।

उपरोक्त के अतिरिक्त आपको यह भी निर्देश दिये जाते है कि अपने–2 जिले में स्थित राजकीय आई0टी0ओ0टी0, रोहतक व सभी राजकीय/प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2015–16 में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे अनुसूचित जाति/जन जाति तथा ओ0बी0सी0 जाति के जिन छात्र/छात्राओं का नाम कक्षा से कट चूका है और मुख्यालय स्तर से पी0एम0एस0 पोंटल से छात्र/छात्रा का नाम अभी तक नही हटाया गया तो उस छात्र/छात्रा की अदायगी के लिए बिल प्रस्तुत ना करें। उक्त गलत अदायगी/Double Payment को रोकने के लिये जिला स्तर के नोडल अधिकारी/प्रधानाचार्यों प्रत्येक तिमाही पर एक बार अपने–2 जिले में स्थित सभी राजकीय/प्राईवेट संस्थानों का औचक निरिक्षण करके निम्न प्रोफार्मा अनुसार रिर्पोट निदेशालय पर ई0मे0 ID- adtpms1@gmail.com पर भिजवाना सूनिश्चित करेंगेः–

| क्र0 | संस्थान का नाम | छात्रवृति के पात्र अनुसुचित जाति के छात्र/छात्राओं की बायोमैट्रिक हाजरी हां/ना | छात्रवृति के पात्र अनुसुचित जाति के छात्र/छात्रा ओं की कुल संख्या | छात्रवृति के पात्र अनुसुचित जाति के कुल कितने छात्र/छात्राओ ने **online application upload** की गई है, की संख्या। | संस्थान के कुल अनुसुचित जाति के कितने छात्र /छात्राओं के छात्रवृति आवेदन पत्र **approve** हुए है, की संख्या। | यदि किसी संस्थान के मुखिया द्वारा छात्रवृति के पात्र अनुसुचित जाति के छात्र/ छात्राओं की संख्या गलत दर्शाई गई है। उसका भी जिला स्तर का नोडल अधिकारी अपनी रिपोर्ट भेजते हुए वर्णन करेगा। |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Sd/-
सहायक निदेशक (प्रशिक्षण–I)
कृतेः निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

पृ0 क्रमांक T-4/PMS/SC/2015-16/ Online Application/ 6451 दिनांकः 9/8/16

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु भेजी जाती हैः–

1. निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा।
2. सयुंक्त निदेशक एवं प्रधानाचार्य, राजकीय आई0टी0ओ0टी0, रोहतक, सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज, राजकीय/प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज (महिला), राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), (हरियाणा राज्य में) को निर्देश दिए जाते है कि जिला स्तर के नोडल अधिकारी/प्रधानाचार्यों का उक्त मामले में सहयोग करके तुरन्त कार्यवाही करवाना सूनिश्चित करें।
3. Centeral D.D.O.P.M.S/Dy.Director(Acct.) H.Q
4. Joint Director (Audit & Planning).
5. उप–निदेशक(प्रशिक्षण–4)।
6. नोडल अधिकारी,वैबसाईट, विभागीय वैबसाईट पर डालने हेतु।

Manoj Saini 8/8/16
सहायक निदेशक (प्रशिक्षण–I)
कृतेः निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।